

## सूचना का अधिकार 2005

### कार्यालय उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

#### जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्य प्रदेश

##### बिन्दु क्रमांक 1

1. लोक प्राधिकरण के उद्देश्य:- कार्यालय उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण का मुख्य उद्देश्य केन्द्र एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं को शासन के निर्देशानुसार क्रियान्वयन कर आम नागरिक तक पहुँचाना है।
2. लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन :- कार्यालय का मुख्य उद्देश्य मूलभूत अधोसंरचनाओं को आम नागरिक तक पहुँचाना जिसके माध्यम से गाँव की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार आए तथा निर्धन, निराश्रित, निःशक्तजन एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्थिक मदद के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध हो सके।
3. लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास एवं उसके गठन का प्रसंग
4. लोक प्राधिकरण के कर्तव्य:- शासन के विभिन्न कार्यों को जनपद एवं ग्राम पंचायत के द्वारा आम नागरिक तक पहुँचाना एवं विभागीय योजनाओं की प्रगति का विवरण राज्य का नियमित समय अवधि में पहुँचाएँ।
5. लोक प्राधिकरण के कृत्य :- शासन द्वारा समय समय पर चलाई गई विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से जनपद पंचायत ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों के माध्यम से कराना एवं उनकी समीक्षा करना।
6. लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण :-

1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन:- योजना का मुख्य उद्देश्य 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध, 18 से 39 वर्ष आयु की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिला 18 से 59 वर्ष आयु की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली परित्यक्तता महिला 06 स 18 वर्ष आयु तक के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हा 150 रु. प्रतिमाह उनके जीवन यापन के निर्वहन हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करना।

2इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन :- योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से 64 वर्ष आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध को 200 रु. प्रतिमाह 65 वर्ष से 79 वर्ष के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध को 275/-रु. प्रतिमाह एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धों को 500 रु. प्रतिमाह जीवन यापन करने हेतु पेंशन प्रदान करना।

**3इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन :-** योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को 300 रु. प्रतिमाह जीवन यापन करने हेतु पेंशन प्रदान करना ।

**4इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन :-** योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18वर्ष से 79 वर्ष आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 80 या उससे अधिक हो को 300 रु. प्रतिमाह जीवन यापन करने हेतु पेंशन प्रदान करना ।

**5राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :-** योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुखिया या परिवार के ऐसे सदस्य जिसकी आय से परिवार का अधिकांश गुजर-बसर चलता हो जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो उनकी मृत्यु होने पर आश्रितों को 20,000/-रु. की आर्थिक सहायता प्रदान करना ।

**6 कन्या अभिभावक पेंशन योजना :-** योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे दंपत्ति जिनकी केवल पुत्री संतान हो एवं आवेदक दंपत्ति में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो एवं आयकर दाता न हो 500/-रु. प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान करना ।

**7 छः वर्ष से अधिक आयु के बहु विकलॉग एवं मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को सहायता अनुदान योजना :-** योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे निशक्तजन जो कि बहुविकलॉग /मानसिक रूप से अविकसित हो 500/-रु. प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान करना ।

**8 निःशक्तजन छात्रवृत्ति योजना :-**उद्देश्य जिले में निवासरत निःशक्त छात्र-छात्राओं को शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में आर्थिक रूप से मदद देकर उन्हें आत्म निर्भर बनाने का प्रयास करना ।

**9 निःशक्तजनों के लिए स्वरोजगार योजना :-** विकलॉगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय वित्तीय विभाग निगम फरीदाबाद से लोन स्वीकृत कराना ।


**10 निःशक्तजनों को उपकरण/सहायक उपकरण प्रदान करना :-** जिले में निवासरत 40 प्रतिशत या उससे अधिक ऐसे निःशक्त असहाय निःशक्तजनों को जिन्हें अपना कार्य करने के लिये विशेष साधन/उपकरण की आवश्यकता हो को चिकित्सक की अनुशंसा के आधार पर उपकरण सहायक उपकरण प्रदान करना ।

**11 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :-** योजना का मुख्य उद्देश्य निराश्रित परिवार की कन्या/विधवा/परित्यक्तता महिलाओं को शासन द्वारा उनका निःशुल्क विवाह कराना एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु 15000/-रु. 10,000/- की एफ.डी.आर. एवं प्रायोजक को 3000/-रु. देने का प्रावधान रखा गया है ।

**12 नशामुक्ति कार्यक्रम :-**समाज की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के उद्देश्य से मद्य निषेध सप्ताह नशा निवारण दिवस, तम्बाकू एवं धूम्रपान दिवस, नशा मुक्ति अभियान चलाया जाकर नुककड नाटक, प्रदर्शनी एवं अन्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रचार प्रसार करना ।

13 निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना :- योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे निःशक्तजन व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो विवाह करने पर 50,000/-रु एवं वर वधु दोनो के निःशक्त होने पर 1,00,000/- रूपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान रखा गया है।

7. लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन निर्देशालय क्षेत्र जिला ब्लाक ग्राम आदि) संगठनात्मक (ढाँचा जहाँ लागू हो)



मध्य प्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं  
निःशक्तजन कल्याण विभाग

उप संचालक

नगर पालिका / नगर परिषद

राजगढ़

ब्यावरा

नरसिंहगढ़

सांरगपुर

खुजनेर

सुठालिया

बोड़ा

तलेन

कुरावर

पचोर

खिलचीपुर

छापीहेडा

जीरापुर

माचलपुर

8. जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतां के निराकरण की व्यवस्था ।

- शासन निर्देशानुसार

9. मुख्यालय कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों के कार्यालयों के पते

- कार्यालय का पता :- उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग जिला पंचायत परिसर खिलचीपुर नाका जिला राजगढ़
- जनपद पंचायत कार्यालय का पता
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नरसिंहगढ़
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सारंगपुर
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जीरापुर
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खिलचीपुर
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राजगढ़
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ब्यावरा
- नगरीय निकाय कार्यालय का पता
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका राजगढ़
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका ब्यावरा
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका नरसिंहगढ़
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका सारंगपुर
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद खुजनेर
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद सुठालिया
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बोड़ा
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद तलेन
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद कुरावर
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद पचोर
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद जीरापुर
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद माचलपुर
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद खिलचीपुर
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद छापीहेड़ा

10 कार्यालय खुलने का समय :- प्रातः 10.30 बजे

कार्यालय बन्द होने का समय :- शाम 5.30 बजे

बिन्दु क्रमांक -2

कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों के नाम पदनाम कर्तव्य तथा परिलब्धियायों संबंधी जानकारी :-

क0	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	उपसंचालक	1	0	1	
2	मुख्य लिपिक सहलेखापाल	1	0	1	
3	सहायक ग्रेड-2	2	0	2	
4	सहायक ग्रेड-3	4	3	1	
5	वाहन चालक	1	0	1	
6	वाहिनी स्वच्छक	1	1	0	
7	भृत्य	5	4	1	
8	अंशकालीन चौकीदार	1	1	0	
9	अंशकालीन स्वीपर	1	1	0	

कार्यालय में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के मूल वेतन एवं अन्य भत्ते संबंधी जानकारी

क्रं.	पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम एवं वेतनमान
1	पद रिक्त	उपसंचालक, 9300-24800
2	पद रिक्त	मुख्य लिपिक सहलेखापाल 5200-20200
3	पद रिक्त	सहायक ग्रेड-2 5200-20200
4	पद रिक्त	सहायक ग्रेड-2 5200-20200
5	सुश्री भगवती वर्मा	सहायक ग्रेड-3 5200-20200
6	श्री प्रमोद श्रीवास्तव	सहायक ग्रेड-3 5200-20200
7	श्री केशवसिंह मीना	सहायक ग्रेड-3 5200-20200
8	पद रिक्त	सहायक ग्रेड-3 5200-20200
9	पद रिक्त	वाहन चालक 5200-20200
10	श्री प्रकाश चंद्र मेवाड़े	वाहन स्वच्छक 4440-7740
11	श्री महेश यादव	भृत्य 4440-7740
12	श्रीमती संतोष दुबे	भृत्य 4440-7740
13	श्री चंद्रिका प्रसाद मिश्रा	भृत्य 4440-7740
14	श्री बलराम संजोदिया	भृत्य 4440-7740
15	पदरिक्त	भृत्य 4440-7740
16	श्री चेताराम गुर्जर	अंशकालीन चौकीदार 3620/- कलेक्टर दर पर
17	श्रीमती कमलाबाई	अंशकालीन स्वीपर 600/-

## कार्य वितरण:-

1. लेखा शाखा :- श्री प्रमोद श्रीवास्तव सहायक ग्रेड-3 शासन द्वारा प्राप्त आवंटन व्यय के विरुद्ध आय व्यय विवरण के अभिलेखों का संधारण
2. स्थापना शाखा:- श्री प्रमोद श्रीवास्तव सहायक ग्रेड-3 समस्त कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का संधारण वेतन वृद्धियों, अवकाश, विभागीय जॉच आदि नस्तियों का संधारण
3. निराश्रित निधि :- श्री प्रमोद श्रीवास्तव सहायक ग्रेड-3 कृषि उपज मंडी समितियों से प्राप्त चेक द्वारा प्राप्त राशि को बचत खाते में जमा कराना एवं आय व्यय विवरण के अभिलेखों का संधारण ।
4. शिकायत शाखा :- श्री प्रमोद श्रीवास्तव सहायक ग्रेड-3 शिकायत शाखा में शासन स्तर से प्राप्त पी.जी.सेल, सी.एम.हेल्पलाईन, ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त शिकायतों की जॉच एवं निराकरण कर प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना ।
5. समस्त पेंशन योजनाओं की समीक्षा :-श्री प्रमोद श्रीवास्तव सहायक ग्रेड-3 सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं की समीक्षा एवं पत्राचार संबंधी समस्त कार्यवाहियाँ संपादित करना ।
6. समग्र पोर्टल :- श्री प्रमोद श्रीवास्तव सहायक ग्रेड-3 समग्र पोर्टल पर दिये गये निर्देशों का पालन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना ।
7. सिटीजन चार्टर एवं सूचना का अधिकार संबंधी जानकारी :- श्री प्रमोद श्रीवास्तव सहायक ग्रेड-3 द्वारा उक्त कार्य संपादित किया जा रहा है ।
8. राष्ट्रीय परिवार सहायता :- श्री प्रमोद श्रीवास्तव सहायक ग्रेड-3 द्वारा योजना की समीक्षा कराना ।
9. न्यायालयीन प्रकरण संबंधी जानकारी :- श्री प्रमोद श्रीवास्तव सहायक ग्रेड-3 द्वारा न्यायालयीन प्रकरण संबंधी जानकारी कार्य संपादन किया जा रहा है ।
10. अशासकीय संस्थाओं के अनुदान एवं मान्यता :- श्री प्रमोद श्रीवास्तव सहायक ग्रेड-3 जिले में संचालित अशासकीय संस्थाओं को विभागीय मान्यता एवं अनुदान संबंधी प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना ।
11. नशामुक्ति कार्यक्रम :- श्री प्रमोद श्रीवास्तव सहायक ग्रेड-3 जिला स्तर पर नशामुक्ति कार्यक्रम से संबंधित समस्त नस्तियों का संधारण एवं संचालन किया जा रहा है ।
12. निःशक्तजन छात्रवृत्ति :- श्री केशवसिंह मीना सहायक ग्रेड-3 द्वारा जिले में वितरित की जाने वाली निःशक्तजन छात्रवृत्ति संबंधी समस्त कार्य किये जा रहें हैं ।
13. बहुविकलॉग एवं निःशक्तजन व्यक्तियों को सहायता अनुदान :-श्री केशवसिंह मीना सहायक ग्रेड-3 जिले में बहुविकलॉग एवं निःशक्तजन व्यक्तियों को सहायता अनुदान संबंधी समस्त नस्तियों का संचालन किया जा रहा है ।


14. निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना :- श्री केशव सिंह मीना सहायक ग्रेड-3 द्वारा योजनांतर्गत संचालित समस्त नस्तियों को संधारण किया जा रहा है।
15. निःशक्तजनों को उपकरण/सहायक उपकरण प्रदान करने संबंधी श्री केशवसिंह मीना सहायक ग्रेड-3 द्वारा निःशक्तजनों को उपकरण/सहायक उपकरण क्रय करने संबंधी प्रक्रिया पूर्ण की जाकर उपकरण जिला विकलॉग एवं पुनर्वास केन्द्र के माध्यम से वितरित कराये जा रहे हैं।
16. वृत्तिकर से छूट प्रदाय करने संबंधी प्रमाण पत्र जारी करना :- श्री केशव सिंह मीना सहायक ग्रेड-3 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्त कर्मचारियों को वृत्तिकर से छूट प्रदान करने संबंधी प्रमाण जारी करना।
17. आवक जावक :- सुश्री भगवती वर्मा सहायक ग्रेड-3 द्वारा शासन व अन्य विभागों से प्राप्त पत्रों का पंजीयन कर संबंधित शाखाओं को उपलब्ध कराना एवं शासन स्तर एवं ग्रामीण एवं नगरीय निकाय एवं जिला स्तर के शासकीय पत्रों का भेजा जाना आदि।
18. भंडार :- श्री केशवसिंह मीना सहायक ग्रेड-3 द्वारा भंडार संबंधी समस्त पंजियों का संधारण किया जा रहा है।

कर्मचारियों के सेवा अभिलेख :-

1. कर्मचारियों के सेवा अभिलेख
2. भविष्य निधि अभिलेख
3. केशबुक, देयक पंजी, कोषालय देयक पंजी, चेक पंजी, आवक जावक पंजी, शासकीय पोस्टेज पंजी, विधानसभा पंजी, व्यक्तिगत पंजी, भंडार पंजी, स्थाई भंडार पंजी वाहन लॉग बुक आदि।

बिन्दु क्रमांक 3 :-

कार्यालय में अपनाई जाने वाली निर्णय प्रक्रिया (नस्ति खोले जाने से निर्णय लेने तक) को रेखा चित्र की सहायता से दिखाया गया है।






#### बिन्दु क्रमांक 4:-

कार्यालय द्वारा समय सीमा में कार्य निपटाने, गुणवत्ता तथा मात्रा संबंधी मापदंड तय किये जाने संबंधी जानकारी दी जाये। यदि इस तरह के मापदंड तय न हो तो इस दिशा में कार्यवाही विभाग स्तर पर की जाये ताकि सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रदेश स्तर पर एक समान गुणवत्ता वाले मापदण्ड लागू हो सकें।

(अ) भारत शासन एवं राज्य शासन से टारगेट (लक्ष्य) वित्तीय एवं भौतिक प्राप्त होते हैं। लक्ष्य निर्धारित नहीं है योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों का चयन किया जाकर लाभांशित किया जाता है।



#### बिन्दु क्रमांक 5 :-

कार्यालय में उपयोग होने वाले तथा उपलब्ध अधिनियम, नियम, रेगुलेशन, मैनुअल की सूची तैयार की जाये।

सूची

क्रमांक	विधियों का नाम
1	मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम

**बिन्दु क्रमांक 6 :-**

कार्यालय में संधारित की जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची तथा उसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया जावे ।

कार्यालय में संधारित किये जाने वाले अभिलेखों की सूची

क्रमांक	विवरण सूची	रिमार्क
1	पदस्थ कर्मचारियों के सेवा अभिलेख	
2	केशबुक संधारण	
3	योजनावार आवंटन नस्त्रियाँ	
4	योजनावार डेबिट एवं क्रेडिट व्हाउचर नस्त्रियाँ	
5	योजनावार निर्देश नस्त्रियाँ	
6	योजनावार नस्त्रियों का संधारण	

**बिन्दु क्रमांक 7 :-**

ऐसी परामर्श दात्री समितियों की संरचना जिसके सदस्य जनप्रतिनिधि हैं उनके संबंध में वांछित जानकारी जैसे नाम आदेश क्रमांक निर्माण संबंधी निर्देश एवं दायित्व एवं कर्तव्य की जानकारी दी जाना है।

क्र	समिति का नाम	प्रतिनिधि का नाम	आदेश क्र.	दायित्व / कर्तव्य
1	2	3	4	5
1	सामाजिक सहायता समिति	मा. सांसद महोदय जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित एक तिहाई विधायक, 4 जनपद अध्यक्ष, दो नगर पालिका अध्यक्ष, कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, उपसंचालक सामाजिक न्याय	म.प्र.शासन समाज कल्याण विभाग के पत्र क्र. एफ-1/59/26 -2/95/दिनांक 4.9.96	पेंशन वितरण की समीक्षा
2	मुख्यमंत्री कन्या विवाह समिति	मा. सांसद महोदय जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित एक तिहाई विधायक, 4 जनपद अध्यक्ष, दो नगर पालिका अध्यक्ष, कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, उपसंचालक सामाजिक न्याय		

## बिन्दु क्रमांक 8 :-

कार्यालय के अंतर्गत आने वाली बोर्ड परिषद एवं समितियों के सदस्यों के नाम आर्हता गठन संबंधी आदेश, चार्टर/अनुबंध से संबंधी जानकारी, बैठक आहू करने संबंधी शासन के निर्देश आम नागरिक की प्रतिभागिता तथा कार्यवाही विवरण की उपलब्धता संबंधी जानकारी दी जायें ।

जिला सर्तकता एवं मूल्यांकन समिति जिला स्तर पर गठित है।

## बिन्दु क्रमांक 09 एवं 10

कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम वेतन तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी । यह जानकारी कार्यालय/कोषालय दोनो ही जगह उपलब्ध होंगे ।

पदस्कार्यालय में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के मूल वेतन एवं अन्य भत्ते संबंधी जानकारी

क्रं.	पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम एवं वेतनमान
1	पद रिक्त	उपसंचालक, 9300-24800
2	पद रिक्त	मुख्य लिपिक सहलखापाल 5200-20200
3	पद रिक्त	सहायक ग्रेड-2 5200-20200
4	पद रिक्त	सहायक ग्रेड-2 5200-20200
5	सुश्री भगवती वर्मा	सहायक ग्रेड-3 5200-20200
6	श्री प्रमोद श्रीवास्तव	सहायक ग्रेड-3 5200-20200
7	श्री केशवसिंह मीना	सहायक ग्रेड-3 5200-20200
8	पद रिक्त	सहायक ग्रेड-3 5200-20200
9	पद रिक्त	वाहन चालक 5200-20200
10	श्री प्रकाश चंद्र मेवाड़े	वाहन स्वच्छक 4440-7740
11	श्री महेश यादव	भृत्य 4440-7740
12	श्रीमती संतोष दुबे	भृत्य 4440-7740
13	श्री चंद्रिका प्रसाद मिश्रा	भृत्य 4440-7740
14	श्री बलराम संजोदिया	भृत्य 4440-7740
15	पदरिक्त	भृत्य 4440-7740
16	श्री चेताराम गुर्जर	अंशकालीन चौकीदार 3620/-कलेक्टर दर पर
17	श्रीमती कमलाबाई	अंशकालीन स्वीपर 600/-

**सूचना का अधिकार :-** लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा कार्यालय से संबंधित 17 बिन्दुओं के अंतर्गत जन-सामान्य को अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई जाने के अनुक्रम में कार्यालय उपसंचालक सामाजिक न्याय राजगढ़ की

जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र०	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	उपसंचालक	1	0	1	
2	मुख्य लिपिक सहलेखापाल	1	0	1	
3	सहायक ग्रेड-2	2	0	2	
4	सहायक ग्रेड-3	4	3	1	
5	वाहन चालक	1	0	1	
6	वाहिनी स्वच्छक	1	1	0	
7	भृत्य	5	4	1	
8	अंशकालीन चौकीदार	1	1	0	
9	अंशकालीन स्वीपर	1	1	0	

बिन्दु क्रमांक 11 :-

कार्यालय के लिए वर्षानुसार मदवार बजट आवंटन तथा उसके उपयोग संबंधी जानकारी दी जाएगी ।

(यह जानकारी कार्यालय एवं कोषालय दोनो जगह उपलब्ध होगी )

क्रं.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन (लाख में)			वित्तीय वर्ष में व्यय			लाभान्वित हितग्राही		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	सा.	अ. जा.	अ.ज. जा.	सा.	अ.जा.	अ.ज. जा.	सा.	अ. जा.	अ.ज. जा.
	सामाजिक सुरक्षा पेंशन									
	इंदिरा गॉंधी रा. वृद्धावस्था पेंशन									
	इंदिरा गॉंधी रा. विधवा पेंशन									
	इंदिरा गॉंधी रा. निःशक्त पेंशन									
	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना									
	कन्या अभिभावक पेंशन.									
	निःशक्तजन छात्रवृत्ति									
	कृत्रिम अंग उपकरण									
	मु.म.कन्या विवाह याजना									
	निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना									
	नशाबंदी									

उक्त आवंटन ग्लोबल बजट में उपलब्ध रहता है एवं हितग्राहियों के मान से व्यय किया गया है।

बिन्दु क्रमांक 12 :-

जिला स्तर पर प्रशासन योजना :-

राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन तहत स्वीकृत पदों क विरुद्ध कार्यरत अमले के वेतन भत्ते एवं कार्यालय व्यय हेतु की जान वाली राशि खर्च करने का प्रावधान है।

बिन्दु क्रमांक 13 :-

वास्तविक हितग्राहियों की सूची तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकारी । इसे प्रतिमाह अद्यतन करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें । (कार्यालय में उपलब्ध)

बिन्दु क्रमांक 14 :-

कार्यालय में उपलब्ध जानकारीयों की सूची श्रेणी तथा उसकी प्रकृति (हार्ड कापी, इलेक्ट्रानिक फार्म)

कार्यालय उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण में निमनानुसार जानकारी उपलब्ध है ।

1. प्रशासकीय स्वीकृति आदेश
2. व्यय संबंधी जानकारी
3. योजनाओं के संबंध में कार्यवाहियों एवं निर्देश प्रतियाँ
4. अभिलेख

बिन्दु क्रमांक 15 :-

आम नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधाएँ जैसे पुस्तकालय, पब्लिक काउण्टर आदि ।

सुविधा उपलब्ध नहीं है फिर भी सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग से संबंधित नियमों की जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है ।

बिन्दु क्रमांक 16 :-

लोक सूचना अधिकारी से संबंधित जानकारी ।

लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय अधिकारी

स्तर	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4
जिला स्तर पर	उपसंचालक, सामाजिक न्याय	सहायक ग्रेड-3	कलेक्टर राजगढ़

बिन्दु क्रमांक 17 :-

अन्य कोई प्रांसगिक जानकारी जिसका संबंध आम नागरिक से हो तो उन जानकारी का भी आलेखन किया जायें ।

निरंक है।